

प्रेस- विज्ञप्तिथाना गम्भीरपुर आजमगढ़

सरकारी गनर प्राप्त करने के लिये रंगदारी की गलत सूचना देने वाले अभियुक्त डा० संतोष कुमार मिश्रा के घर पर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

दिनांक- 09.12.2022 को वादी डा० संतोष कुमार मिश्रा पुत्र त्रिपुरारी मिश्रा निवासी खरैला थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा सूचना दिया गया कि मेरे मोबाइल नम्बर 9956xxxxxx पर मो.न. 964xxxxxx से 10 लाख रुपये की रंगदारी माँगी गयी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 405/22 धारा 386 भादवि पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त सीडीआर व कैफ से अभियुक्तगण राहुल त्रिपाठी थाना देवगाँव व संदीप सिंह निवासी सादीपुर थाना बरदह की गिरफ्तारी की गयी गिरफ्तार अभियुक्त डा० संतोष कुमार मिश्रा के रिश्तेदार / परिचित निकले जिनसे पूछताछ में बताये कि डा० संतोष कुमार मिश्रा उपरोक्त को सरकारी गनर की आवश्यकता थी इस लिये उनके द्वारा हम लोगो को पैसे व नौकरी का लालच देकर एक षडयंत्र के तहत फर्जी फोन कराकर रंगदारी माँगने की फर्जी सूचना दी गयी थी फर्जी रंगदारी माँगने की सूचना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 408/22 धारा 195/120बी भादवि बनाम डा० संतोष कुमार मिश्रा पुत्र त्रिपुरारी मिश्रा निवासी खरैला थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ आदि पंजीकृत कर घटना में शामिल 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा गया था घटना के बाद से ही अभियुक्त डा० संतोष कुमार मिश्रा फरार चल रहा है जिसके बिरुद्ध मा० न्यायालय जे एम कोर्ट न. 26 से दिनांक 01.03.2023 को 82 सीआरपीसी जारी किया गया था जिसका तामिला आज दिनांक 06.03.2023 को नियमानुसार अभियुक्त के घर ग्राम खरैला, स्कूल, बाजार आदि पर डुगडुगी पिटवाकर करवाया गया।

82 सीआरपीसी में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण

- 1- थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 2- उ.नि. राजबहादुर यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ मय हमराह

थाना- देवगाँव**चोरी की घटना का अनावरण; स्पोर्ट्स एवं जिम की दुकान में चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 04.01.2023 को आवेदक फिरोज अहमद पुत्र नखडू अली निवासी ग्राम पल्हना बाजार (लहुआँ खुर्द) थाना देवगाँव आजमगढ़ द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र बावत बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी की स्पोर्ट्स एवं जीम की दुकान में छत के पीछे करकट के रास्ते से अन्दर घुसकर ट्रैक सूट, लोवर, टिशर्ट, शुज, प्रोटीन डब्बा, बैट- बाल आदि ब्रान्डेड समान चोरी किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 05/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी तथा अभियुक्त की तलाशी की जा रही थी।

2. गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 06.03.2023 को उ०नि० अजीत कुमार चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त विरेन्द्र राजभर पुत्र स्व० सर्वजीत राजभर निवासी ग्राम लहुँआ कला, थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़ को गायत्री मोड़ के पास से समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

3. पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि लगभग 02 माह पूर्व मैं और संदीप राजभर पुत्र वंशी राजभर निवासी लहुँआ खुर्द(मडैया), थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़ ने पल्हना ब्लॉक के बगल स्थित स्पोर्ट व जीम की दुकान से रात में चोरी किये थे

4. पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु०अ०सं० 05/2023 धारा 380/411 भा०द०वि० थाना देवगाँव, आजमगढ़।

5. बरामदगी का विवरण- 650 रुपये नगद

6. आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

7. गिरफ्तार अभियुक्त:- विरेन्द्र राजभर पुत्र स्व० सर्वजीत राजभर निवासी ग्राम लहुँआ कला, थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़

8. गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ०नि० अजीत कुमार चौधरी चौकी प्रभारी पल्हना थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
2. का० राहुल यादव थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

थाना- देवगाँव**गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्ता गिरफ्तार**

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक- 16.10.2022 को आवेदक जिलेदार यादव पुत्र स्व० बट्टी यादव निवासी ग्राम रवनियां थाना बरदह जिला आजमगढ़ के लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा चन्दा देवी से मिली भगत करके आवेदक व आवेदक

के गांव के अमलेश पुत्र राजमन व अभिलाष पुत्र हरदेव के खिलाफ थाना देवगांव क्षेत्र में दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में षड्यन्त्र करके मनगढंत प्रार्थना पत्र देने तथा थाना देवगांव दोनो पक्षो का आमना सामना होने पर चन्दा देवी द्वारा कहा गया पूरी बात झूठी है तथा दिनांक 19.10.22 को आवेदक के मो0न0- 8808xxxxxx पर मो0न0- 8874xxxxxx से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 90000.00 रुपये की मांग करना और जगह- जगह आवेदक को बुलाना तथा दिनांक 25.10.22 को आवेदक रुपया लेकर आजमगढ़ गया तो विपक्षी द्वारा नरौली चौराहा के पास नदी के पुल पर 20000.00 रुपया ले लेना व और पैसे न मिलने पर आवेदक के उपर भडक जाना और भला बुरा कहते हुए शेष पैसा एक – दो दिन मे यही आकर दे जाने और न देने पर तुम लोगो की हत्या भी कर देने के धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिला किया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 415/2022 धारा 420,386,195,182,120बी भादवि बनाम 1. रामनरेश निषाद पुत्र हंसराज निषाद निवासी बडागांव थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर 2. नीरज यादव पुत्र सुबाष यादव, 3. श्यामसुन्दर यादव पुत्र इन्द्रबली यादव निवासीगण ग्राम रवनिया थाना बरदह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 4. चन्दा देवी पत्नी विरेन्द्र हरिजन निवासी सिधौना थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 06.03.2023 को व0उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता चन्दा देवी पत्नी विरेन्द्र हरिजन निवासी सिधौना थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को निहोरगंज कस्बे से समय 12.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0स0 90/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना- देवगांव, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त- चन्दा देवी पत्नी विरेन्द्र हरिजन निवासी सिधौना थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

क्र.सं.	मु0अ0स0	धारा	थाना	जिला
01	415/2022	420,386,195,182,120बी	देवगांव	आजमगढ़
02	90/2023	3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट	देवगाँव	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. चन्दा देवी पत्नी विरेन्द्र हरिजन निवासी सिधौना थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे म0आ0 संध्या बिन्द थाना देवगांव, आजमगढ़।

थाना सरायमीर, आजमगढ़

गैर इरादतन हत्या के वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

1. **गिरफ्तारी का विवरण:-** उपनिरीक्षक अजीज खान थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा आज दिनांक 06.03.2023 को मु0अ0स0 13/23 धारा 304 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभि0 डा0 अफाक अख्तर उर्फ अफाक अहमद पुत्र अबुल हसन उर्फ अब्दुल हसन निवासी पोस्ट संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को छित्तूपट्टी मन्दिर के पास से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके द्वारा अंसारी नर्सिंग हॉम संजरपुर थाना सरायमीर मे मरीज का इलाज लापरवाही से करने के कारण जच्चा - बच्चा की मृत्यु हो गयी थी। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहे थे। जिन्हे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

2. **पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0स0 13/23 धारा 304 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़।

3. **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. डा0 अफाक अख्तर उर्फ अफाक अहमद पुत्र अबुल हसन उर्फ अब्दुल हसन निवासी पोस्ट संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

5. **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 अजीज खान मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़।

थाना- कन्धरापुर

गोवध अधिनियम में 02 गिरफ्तार

आज दिनांक 06.03.2023 को उ0नि0 सुबोध कुमार राय , उ0नि0 जाफर खां मय हमराह को सूचना मिली कि मु0अ0स0 50/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. रामचेत निषाद पुत्री स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी भोर्ना मकबूलपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ 2. गीता निषाद पत्नी रामचेत निषाद निवासी भोर्ना मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ जो इस समय भंवरनाथ मन्दिर के पास बैंक के सामने मौजूद है जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते है इस सूचना पर मै उ0नि0 मय हमराहियान के भवरनाथ मन्दिर के पास बैंक पर मौके पर पहुंचकर पर दोनों अभियुक्तों से पूछताछ किया गया तो अभियुक्तगण द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुये घटना कारित करने की बात बतायी गयी है। अभियुक्तों को कारण गिरफ्तारी बताकर समय 11.30 AM

पर भंवरनाथ मन्दिर के पास बैंक आफ बड़ौदा के सामने उनके जुर्म से अवगत कराते हुये कारण गिरफ्तारी बताते हुये हिरासत पुलिस में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामचेत निषाद पुत्री स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी भोर्मा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ
2. गीता निषाद पत्नी रामचेत निषाद निवासी भोर्मा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 50/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रामचेत पुत्र स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी भोर्मा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर

1. मु0अ0सं0 50/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
2. मु0अ0सं0 6/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कन्धरापुर
3. मु0असं0 15/2020 धारा 379/411 भादवि थाना कन्धरापुर
4. मु0अ0सं0 186/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
5. मु0अ0सं0 06/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कप्तानगंज

अभियुक्ता गीता निषाद पत्नी रामचेत निषाद निवासी भोर्मा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ

1. मु0अ0सं0 50/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुबोध कुमार राय उ0नि0 जाफर खां मय हमराह थाना कंधरापुर, आजमगढ ।

थाना कोतवाली जीयनपुर

चोरी की घटना का अनावरण; अवैध तमचा व कारतूस 12 बोर तथा चोरी गये गैस सिलिन्डर इण्डेन कम्पनी व एक मोटर क्रम्पटन कम्पनी पाँच हार्स पावर व 2880/ रुपया नगद के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटनाका विवरण - दिनांक 29/1/2023 को वादी मुकदमा संजय कुमार पुत्र स्व0 लालसा ग्रा0 व पो0 जमीन हरखोरी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ थाना कार्यालय आकर सूचना दिया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के घर पर बक्सा व उसमे रखा नथियाँ, पायल ,कथपलानी कुछ नगद करीब 20,000 रूपया चुरा ले गया जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं058/2023 धारा 457/380भादवि बनाम -1. अज्ञात चोर पंजीकृत है । जिसकी विवेचना उ.नि. उमेश कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है । दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में आभियुक्तगण 1. कन्हैया राजभर पुत्र लालचन्द राजभर निवासी हरसिंहपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ आदि 03 नफर का नाम प्रकाश में आया ।,

तथा दिनांक 25/02/2023 को वादी मुकदमा श्री तेजप्रताप राय इं.प्र.अ. प्रधानाध्यापक कम्पोजिट विद्यालय खालिसपुर शिक्षा क्षेत्र-अजमतगढ थाना जीयनपुर आजमगढ उपस्थित थाना कार्यालय आकर एक किता प्रा0 पत्र हिन्दी लिखित व दस्तखती खुद की बताते हुए बावत विद्यालय के रसोईघर में चोरी हो जाने के सम्बन्ध दिये जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 123/2023 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत है । जिसकी विवेचना उ.नि. श्री शंकर कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है । दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में आभियुक्तगण 1. कन्हैया राजभर पुत्र लालचन्द राजभर निवासी हरसिंहपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ आदि 03 नफर का नाम प्रकाश में आया ।,

तथा दिनांक 04/03/2023 को वादी मुकदमा सत्यप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 विजय बहादुर सिंह नि0ग्राम – हरसिंहपुर थाना – जीयनपुर आजमगढ थाना कार्यालय आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित दस्तखती खुद का बताते हुए बाबत अभियुक्तगणों द्वारा वादी के खेत की सिंचाई हेतु लगा हुआ विद्युत मोटर काम्पटन कम्पनी 5 हार्स पावर का ट्यूबेल के अन्दर पीछे से दीवार का ईट खिसकाकर रात में चुरा ले जाने के सम्बन्ध में दिये जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 141/2023 धारा 457/380 भादवि बनाम – 1. कन्हैया राजभर पुत्र लालचन्द राजभर निवासी हरसिंहपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ आदि 03 नफर पंजीकृत है । जिसकी विवेचना उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है । विवेचना के क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक - 06/03/2023 व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह व उ.नि. शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 58/2023 धारा 457/380/411भा0 द0 वि0व मु0अ0सं0 123/2023धारा 380/411भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 141/2023 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कन्हैया राजभर पुत्र लालचन्द राजभर निवासी हरसिंहपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को नहर पुलिया बहद ग्राम बागखालिस के पास से समय करीब 7.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त के पास से एक अदद तमचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व चोरी का एक अदद गैस सिलिन्डर इण्डेन कम्पनी व एक अदद मोटर क्रम्पटन कम्पनी पाँच हार्स पावर व 2880/ रुपया नगद बरामद हुआ उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0 अ0 सं0 146/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0 अ0 सं0 146/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास – कन्हैया राजभर पुत्र लालचन्द राजभर निवासी हरसिंहपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	58/2023	457,380,411 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
2	123/2023	380/411भा0द0वि0	जीयनपुर	आजमगढ़
3	141/2023	457/380/411 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
4	146/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़

बरामदगी –

1-एक अदद तंमचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

2- चोरी का एक अदद गैस सिलिन्डर इण्डेन कम्पनी

3- एक अदद मोटर क्रम्पटन कम्पनी पाँच हार्स पावर व 2880/ रुपया नगद बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. कन्हैया राजभर पुत्र लालचन्द राजभर निवासी हरसिंहपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर, आजमगढ़ ।

2. उ.नि. शंकर कुमार यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

3. का0 जितेन्द्र यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

4. का0 अमर प्रसाद थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ ।